FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0156 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/06/2026 18:52 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 09/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:40 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/06/2026 **Time (समय):** 18:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/06/2026 18:52:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 160 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** PATWAR BHAVAN RAIVANA, TEHASIL NEEMRANA, JILA, KOTPUTALI-BEHAROR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DAYARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1968 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM POST TALVANA RAIVANA, NEEMRANA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM POST TALVANA RAIVANA, NEEMRANA, कोटपूतली-बहरोड़, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHARAM SINGH		पिता:RAM AVATAR SINGH	1. KHRIVARA POST GADHIRUTHAL,ATHELI,महेंद्रगढ़, हरियाणा,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,500.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,500.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 01.06.2026 को श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री दयाराम के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन उप अधीक्षक पुलिस के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया, इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री दयाराम को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया और परिवादी श्री दयाराम को अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री दयाराम पुत्र श्री श्रीराम उम्र 58 साल निवासी ग्राम पोस्ट तलवाना रैवाणा तहसील नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़ मोबाईल नम्बर होना बताया। परिवादी श्री दयाराम द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, ACB जयपुर विषय - रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करवाने के सम्बंध में महोदय निवेदन है कि ग्राम तलवाना पटवार हल्का रैवाना तहसील नीमराना जिला कोटपुतली बहरोड़ में खाता संख्या 287 खसरा सं. 328 रकबा 0.8200 हैक्टेयर जमीन पैत्रिक सामलाती स्थित है। उक्त जमीन में अक्टुम्बर 2025 में मेरी बहिनो ने हक त्याग किया था। हकत्याग का नामान्तकरण खोलने के लिए पटवारी श्री धर्मसिंह ने 10,000/- रू मांगे थे मैने व्यवस्था नही होने के कारण पैसे नही दिये थे तब पटवारी जी ने रजिस्ट्री अपने पास रख ली मैने और मेरे भाईयो ने पटवारी जी से रिजस्ट्री मांगी तो उन्होने 10,000/- रू देने को कहा उसके बाद दिनांक 22/5/26 को हमारी जमीन का सीमाकन करवाने के लिये ONLINE आवेदन किया था, जिसके तीन-चार दिन बाद पटवारी जी धर्मसिंह से गांव रैवाणा पटवार मे मिला तो इन्होने मेरे को कहा कि तुमने पहले के हक त्याग के पैसे भी नही दिये, अब मैं आपकी जमीन का सीमाकंन जब ही करूगा जब आप मुझे मेरे पहले के बकाया रूपये कम कर 5000/ रू और सीमांकन के 10000/- रू दोगे तो ही आपका काम करूगा और मुझे 15000/- रू दोगे तब आपको समाचार कर दुगा की आपको सीमाकंन के लिए कब आना है। मै धर्मसिंह पटवारी जी को रिश्वत की राशि नही देना चाहता हुँ, मेरी धर्मसिंह जी से कोई रंजिस नही है व किसी प्रकार से पैसो का लेन-देन नही है। कार्यवाही करने का श्रम करे। एसडी दयाराम, दयाराम S/O श्रीराम (58) साल ग्रा. पो-तलवाना (रैवाणा तहसील नीमराना जि. कोटपुतली बहरोड़ डवइ दि. 1-6-26" तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं पटवारी श्री धर्मसिंह के पास गया तो उसने पूर्व में मेरी बहिनो के कराये हक त्याग के लिए भी पैसो की मांग की थी, हक त्याग का काम हो चुका है। परन्तु धर्मसिंह जी ने मेरी जमीन के सीमाकंन करने के लिए वह 10 हजार रूपये मांग रहा है और पूर्व के 5000/- रूपये भी मेरे से मांग रहा है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः श्री धर्मसिंह पटवारी द्वारा परिवादी से की जा रही रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में अवगत कराया गया तथा श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री दयाराम व श्री प्रदीप कुमार कानि0 का आपस में परिचय करवाया जाकर श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 99 से कार्यालय के मालखाने से विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर व Kingston Micro SD 32GB नया मैमोरी कार्ड मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी श्री दयाराम को डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालू व बंद करने की प्रक्रिया को समझाया गया। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि पटवारी जी ने मुझे बुधवार को बात करने के लिए बुलाया है, इसलिए मैं बुधवार को पटवारी श्री धर्मसिंह के पास जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा दूंगा। इस पर मन् टीएलओ द्वारा कानि0 श्री प्रदीप कुमार को परिवादी से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने की मुनासिब हिदायत दी गई व विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 03.06.2226 को श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 ने मन् टीएलओ को बताया कि आज परिवादी ने जरिये फोन अवगत कराया कि पटवारी धर्मसिंह जी आज रैवाना नही आकर दौसौद गांव मे गये और कल पटवारी जी रैवाना गांव इमें आयेगें, इसलिए आप कल आ जाओ। इस पर मन् टीएलओ द्वारा श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245 को कार्यालय अलमारी से विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपर्द कर परिवादी से कल दिनांक 04.06.2026 को सम्पर्क कर उसके बताये गये निर्धारित स्थान पर पहुंचकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करने की हिदायत दी गई। दिनांक 04.06.2026 को मन् टीएलओ को श्री प्रदीप कुमार कानि0

नं0 245 ने जरिये फोन अवगत कराया कि मैं ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर नीमराणा पहुंचकर परिवादी श्री दयाराम से मिला और परिवादी के साथ उसकी प्राईवेट मोटरसाईकिल से रवाना होकर गांव रैवाना में ग्राम पंचायत भवन से कुछ दुरी पूर्व रूके और परिवादी ने बताया कि ग्राम पंचायत भवन में ही पटवारी श्री धर्मसिंह का कार्यालय बना हुआ है। इस पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में हिदायत कर समय 01.53 पीएम पर विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर संदिग्ध के पास रवाना कर मैं भी पीछे-पीछे रवाना हुआ और परिवादी पंचायत भवन के अन्दर पटवारी श्री धर्मसिंह के कार्यालय में चला गया और मैं भी पंचायत भवन के आस-पास अपनी पहुचान छुपाते हुए मुकीम हो गया। कुछ समय बाद परिवादी पंचायत भवन से बाहर आकर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ और मैं भी उसके पीछे-पीछे रवाना होकर सुरक्षित स्थान पर परिवादी से मिला। मैंने परिवादी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रखा और परिवादी ने बताया कि मेरी रिश्वत राशि के सम्बंध में पटवारी श्री धर्मसिंह से वार्ता हो गई है और मैं परिवादी के साथ रवाना होकर नीमराणा पहुंचे। तत्पश्चात् मन् टीएलओ द्वारा जरिये फोन ही परिवादी से वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मैं रवाना होकर ग्राम रैवाना में ग्राम पंचायत भवन में स्थित पटवारी श्री धर्मसिंह के कार्यालय में गया तो धर्मसिंह जी के पास एक महिला और दो व्यक्ति मौजुद थे, जिनको मैं नही जानता, उनके सामने ही धर्मसिंह जी ने मेरे से जमीन के सीमाकंन का कार्य शनिवार को करने के लिए कहा और उक्त सीमकंन के कार्य के लिए 5000/- रूपये रिश्वती राशि मांगने पर मैंने उनको कम अधिक करने के लिए कहा तो उन्होने 100, 200 व 500/- रूपये कम दे देना और शनिवार को आने के सम्बंध कल बताने की कहा है। परिवादी ने बताया मैं धर्मसिंह जी को 4500/- रूपये दूंगा। इस पर मन् टीएलओ द्वारा परिवादी श्री दयाराम को रिश्वती राशि के 4500/- रूपये की व्यवस्था करने की मुनासिब हिदायत देकर रूख्सत किया गया तथा कानि0 श्री प्रदीप कुमार को जयपुर ब्यूरो कार्यालय में आने की हिदायत की गई जिस पर श्री प्रदीप कुमार कानि0 ने उपस्थित होकर बंद किया हुआ विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में बताये गये तथ्यो पुनः दौहराये, जिस पर मन् टीएलओ द्वारा वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना तो परिवादी व कानि0 द्वारा बताये गये कथनो की पुष्टि हुई व संदिग्ध श्री धर्मसिंह पटवारी द्वारा परिवादी श्री दयाराम से उसकी जमीन के सीमाकंन का कार्य करने की एवज में रिश्वती राशि मांग करने के तथ्यो की पुष्टि हुई। आइन्दा स्वतंत्र गवाहन व परिवादी के आने पर वार्ता रूपान्तरण तैयार किया जायेगा। विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 07.06.2026 मन् टीएलओ को श्री प्रदीप कुमार कानि0 ने जरिये फोन बताया कि परिवादी के पास दिनांक 07.06.2026 समय 10.05 एएम पर मोबाईल नम्बर पर श्री धर्मसिंह पटवारी के मोबाईल नम्बर 9772113394 का कॉल आया और पूछा कि आप आये नही, तो मैंने कहा कि पारिवारिक कार्यक्रम में होने के कारण आ नही सका और परिवादी ने बताया कि मैं रिश्वती राशि की व्यवस्था होने पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 08.06.2026 को परिवादी श्री दयाराम मन् टीएलओ के समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मैंने रिश्वती राशि के 4500/-रूपये की व्यवस्था कर ली है, दिनांक 09.06.2026 को मैं, श्री धर्मसिंह पटवारी के पास जाकर रिश्वती राशि के 4500/- रूपये दूंगा जिस पर परिवादी को दिनांक 09.06.2026 को समय 8.30 एएम पर कार्यालय में आने की मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया तथा चौकी हाजा के समस्त स्टाफ को भी दिनांक 09.06.2026 को प्रातः 8.30 एएम पर कार्यालय में आने व श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99 को ट्रेप बॉक्स तैयार करने व स्वतंत्र गवाहन को तलब करने की हिदायत दी गई। दिनांक 09.06.2026 को मन् टीएलओ व चौकी हाजा स्टाफ उपस्थित कार्यालय हो चुका है । इसके कुछ समय पश्चात ही परिवादी श्री दयाराम व दो स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय हाजा में उपस्थित हुए, जिनको मन् टीएलओ द्वारा नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री अभिषेक शर्मा पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश शर्मा जाति-ब्राहम्ण, उम्र 41 साल निवासी प्लाट नं0 172/209, सेक्टर 17, कुम्भा मार्ग, पुलिस थाना प्रताप नगर, जयपुर वर्तमान निवास क्वाटर्र नम्बर एम-21, राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस, जयपुर हाल असिस्टेंट सैक्शन ऑफिसर, महारानी महाविद्यालय(राजस्थान विश्वविद्यालय), एसएमएस रोड़, जयपुर मोबाईल नम्बर व दूसरे ने अपना नाम श्री महिपाल सिंह बिठु पुत्र स्व0 श्री फरसदान जी बिठु जाति चारण उम्र 33 साल निवासी ग्राम सीथल, पुलिस थाना नापासर, जिला बीकानेर वर्तमान निवास क्वाटर्र नम्बर एम-8, राजस्थान विश्वविद्यालय कैम्पस, जयपुर हाल सीनीयर प्रयोगशाला सहायक, भौतिक शास्त्र विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जेएलएन मार्ग, जयपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। दोनो स्वतंत्र गवाहन से गोपनीय कार्यवाही में सम्मलित होने की सहमति चाही गई तो दोनों ने पृथक-पृथक अपनी मौखिक सहमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहन व परिवादी का आपस में परिचय करवाकर जाकर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को स्वतंत्र गवाहान से पढवाया जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान से प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये और अब तक की गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 9.15 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री अभिषेक शर्मा व श्री महिपाल सिंह बिठु के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री दयाराम को संदिग्ध पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री दयाराम ने अपने पास से 500-500 रूपये के 09 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 4500/-रूपये निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द पेशकशी में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के 09 नोट कुल राशि

4500/-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी श्री दयाराम के समक्ष कार्यालय के श्री अजय कुमार कानि0 नं0 190, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर से एचएम कार्यालय की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर टेबल पर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री दयाराम की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक शर्मा से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री अजय कुमार कानि0 द्वारा परिवादी श्री दयाराम की पहनी हुई पेंट की दांयी जैब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध पटवारी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें तथा संदिग्ध पटवारी द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन््ं उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री दयाराम को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाने पर घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री अजय कुमार कानि0 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे में उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुएगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री अजय कुमार कानि0 से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री अजय कुमार कानि0 से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की आलमारी में रखवाकर उसके हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे़ गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयां को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय संदिग्ध पटवारी से होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में उपयोग लिये विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड श्री प्रदीप कुमार कानि. नं0 245 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये गये। समय 10.15 एएम पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मन् उप अधीक्षक पुलिस सुरेश कुमार स्वामी मय श्री हरिभजन सहायक उप निरीक्षक, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्री प्रवीण नारोलिया कानि0 नं0 222 मय परिवादी श्री दयाराम व दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री अभिषेक शर्मा व श्री महिपाल सिंह बिठु मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन मिनी बस ट्रेवलर आरजे 14 पीई 8775 चालक श्री रोहित कानि0 नं0 448 व बोलरो आरजे 14 यूएल 5823 चालक श्री दयाल कानि0 नं0 565 के गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय जयपुर से रवाना हुये। समय 1.15 पीएम पर बहरोड़ से पूर्व रास्ते में समय 12.30 पीएम पर संदिग्ध श्री धर्मसिंह पटवारी ने मोबाईल नम्बर से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर फोन किया था। परन्तु परिवादी श्री दयाराम ने फोन नही उठाया, जिस पर समय 12.38 पीएम पर परिवादी ने जरिये फोन संदिग्ध श्री धर्मसिंह से वार्ता की तो धर्मसिंह ने परिवादी को बुलाया और परिवादी मरीज से मिलने आने का हवाला देकर आने के लिए बताया। उक्त वार्ता श्री प्रदीप कुमार कानि0 द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। तत्पश्चात् समय 12.50 पीएम बहरोड़ पहुंचे जहां पर परिवादी श्री दयाराम पार्किंग से अपनी मोटरसाईकिल लेकर आया। परिवादी के साथ श्री प्रदीप कुमार कानि0 को रवाना कर बहरोड़ से रवाना होकर समय 01.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम के ग्राम रैवाना, तहसील नीमराणा में ग्राम पंचायत भवन से कुछ दुरी पूर्व पहुंचे, जहां पर परिवादी श्री दयाराम व श्री प्रदीप कुमार कानि0 मौजुद मिले। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बंध में मुनासिब हिदायत कर परिवादी के साथ श्री प्रदीप कुमार कानि0 को रवाना किया गया। समय 01ः30 पीएम पर श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 द्वारा परिवादी श्री दयाराम को पटवार भवन रेवाना से करीब 400 मीटर पहले वॉइस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध पटवारी के पास रिश्वत लेन-देन हेतु पैदल रवाना कर उसके पिछे ही श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को रवाना किया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस मय समस्त ट्रेप टीम, दोनों स्वतंत्र गवाहान के साथ पैदल-पैदल रवाना होकर पटवार भवन रेवाना के आस-पास अपनी पहचान छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय करीब 01.40 पीएम पर परिवादी ने पटवार भवन व अटल सेवा केन्द्र रेवाना परिसर

के मुख्य गेट से बाहर निकलकर निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराही टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के पटवार भवन व अटल सेवा केन्द्र रेवाना परिसर के मेन गेट के बाहर परिवादी के पास पहुंचकर परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और अपने पास रख लिया। इसके पश्चात परिवादी को साथ लेकर परिसर में स्थित पटवार भवन में मय स्वतंत्र गवाहान के प्रवेश किया तो वहां पर तीन व्यक्ति बैठे हुये थे, जिनमें से परिवादी ने दरवाजे के बांयी तरफ लगी टेबल कुर्सी (उत्तर दिशा की तरफ) पर बैठे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि ये पटवारी धर्मसिंह है, जिन्होंने अभी मेरे से 4500/-रूपये लेकर अपने पर्स में रख लिये। इसके पश्चात मन टीएलओ ने स्वयं का व हमराह टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धर्म सिंह पुत्र श्री राम अवतार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी खरीवारा पोस्ट गढीरूथल तहसील अठेली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल पटवारी, पटवार हल्का दौसौद, तहसील नीमराणा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रैवाना, तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड बताया, जिस पर मन टीएलओ द्वारा धर्मसिंह को परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो उसने रूपये अपने पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में रखे पर्स में होना बताया, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह से धर्म सिंह की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसके पहनी हुई जीन्स की पेन्ट के दाहिनी साईड की पिछे की जेब में एक भूरे रंग का पर्स मिला जिसमें 500-500 रूपये के 09 नोट का एक बंच (बंडल) के अलावा अन्य 500-500 रूपये के नोट व धर्म सिंह का आधार कार्ड मिला। 500-500 रूपये के 09 नोट 4500/-रूपये का एक बंच (बंडल) के बारे में आरोपी धर्मसिंह से पूछा तो उक्त रूपये परिवादी से लेना बताया, जिनका मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो हुबहु वे ही नोट होना पाये गये जिस पर उक्त राशि को स्वतन्त्र गवाह श्री महिपाल सिंह के पास पृथ्क से सुरक्षित रखवायी गई। रिश्वत राशि के अलावा पर्स में मिले अन्य रूपयों को गिनवाया गया तो 13332/-रूपये हुये। रिश्वत राशि के अलावा पर्स में मिले अन्य रूपयों, आधार कार्ड आरोपी के पास मिले दोनों मोबाईल फोन को स्वतंत्र गवाह श्री महिपाल सिंह के पास रखवाये गये। इसके पश्चात श्री धर्मसिंह से परिवादी से लिये गये रूपयों के बारे में पूछा तो पटवारी धर्म सिंह ने बताया कि दयाराम मेरे पास आया था इसने पिछले महिने खाता संख्या 287 खसरा सं. 328 के सीमांकन करवाने के लिये ऑनलाईन आवेदन किया था तथा दिनांक 04.06.2026 को मेरे पास आया था तो मैंने इसको 1-2 दिन में सीमांकन करने के लिये कहा था। उसके बाद में ये आज मेरे पास आया है, जिसको मैंने आज शाम को इसके खसरा सं. 328 का सीमांकन/पेमाईश करने के लिये कहा था, मैंने इससे कोई रूपये नहीं मांगे, जिस पर उपस्थित परिवादी श्री दयाराम ने कहा कि पटवारी जी झूठ बोल रहे है, इन्होंने मेरे से खाता संख्या 287 खसरा सं. 328 के सीमांकन करवाने की एवज में 10,000/-रूपये मांगे थे मैंने इसको इतने रूपये मेरे पास नहीं होने का कहा तो इसने बिना पैसे दिये मेरी जमीन का सीमांकन करने से मना कर दिया तथा मेरे ऊपर रूपये लेकर ही सीमांकन करने का दबाव बनाकर परेशान कर रहे थे, दिनांक 04.06.2026 को इसने मेरे से 5000/-रूपये की मांग की। आज इसने मेरे से रिश्वत राशि 4500/-रूपये लेकर अपने पर्स में रख लिये। इसके पश्चात मन टीएलओ ने पटवारी के पास बैठे अन्य दो व्यक्तियों से पूछताछ की तो एक ने अपना नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल खाती, उम्र 57 साल निवासी रैवाना पुलिस थाना नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड़, मो.नं.   होना बताया। जिससे पूछने पर बताया कि मैं ग्राम पंचायत भवन रैवाना में विगत 12 सालों से चौकीदारी का कार्य करता हूं तथा मैं आज मेरे गांव के श्री पवन कुमार को लेकर पटवारी जी के पास केसीसी की फाईल पर साईन करवाने के लिए आया था, इसी दौरान मेरे परिचित दयाराम जी भी पटवारी जी के पास अपनी जमीन के नाप के लिए आये थे, पटवारी जी ने मेरे सामने ही दयाराम जी से रूपये लिए थे। जिनको पटवारी जी ने गिन कर 5000 रूपये में 500 रूपये कम होना बताया था। इसके पश्चात मन् टीएलओ द्वारा दूसरे व्यक्ति से नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम पवन कुमार पुत्र श्री कंवरसिंह, उम्र 34 साल, निवासी शिवदानसिंह पुरा खोर, पुलिस थाना नीमराणा, मो0 नं0   बताया, जिसने बताया कि मैं मुकेश जी के साथ मेरी केसीसी की फाईल पर पटवारी जी के साईन करवाने के लिए आया था, मेरे सामने ही मुकेश जी के जानकार दयाराम जी ने पटवारी जी को 4500/- रूपये दिये थे। इसके पश्चात आरोपी श्री धर्म सिंह पटवारी के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपी के दोनों हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी धर्म सिंह पटवारी के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी धर्म सिंह पटवारी एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित

कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपी एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी धर्म सिंह पटवारी के कब्जे से बरामद भूरे रंग का पर्स जिसकी आगे की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई का धोवन लिया जाना है, जिस हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलास में एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तदुपरान्त रिश्वत राशि बरामद की गई पर्स के आगे की जेब को सफेद कपडे की चिंदी से रगडकर चिंदी को तैयारशुदा घोल में डुबोकर धोया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को हल्का गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा भूरे रंग के पर्स पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को शील्डमोहर कर मार्क- P अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा रिश्वती राशि बरामद किये गये पर्स कर जेब के धोवन हेतु उपयोग में ली गई सफेद कपड़े की चिंदी को सुखाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर कराये जाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर कपड़े की थैली को सील्डमोहर कर मार्क PC अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर कराये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री महिपाल सिंह के पास रखवाई गई रिश्वत राशि को पुनः गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 09 नोट कुल राशि 4500/-रूपये होना पाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहान से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना बताया जिनका विवरण निम्नप्रकार है- क्र.सं. राशि नोट नम्बर 1. पांच सौ रूपये का एक नोट 2FQ 574950 2. पांच सौ रूपये का एक नोट 2GR 631981 3. पांच सौ रूपये का एक नोट 7SD 570906 4. पांच सौ रूपये का एक नोट 6UQ 666066 5. पांच सौ रूपये का एक नोट 4UT 373396 6. पांच सौ रूपये का एक नोट 9VB 896767 7. पांच सौ रूपये का एक नोट 0VE 262269 8. पांच सौ रूपये का एक नोट 7RK 087279 9. पांच सौ रूपये का एक नोट 1GF 005314 उक्त सभी नोटो को एक तरफ से सफेद कागज में लपेटकर शील्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गये। मन् टीएलओ द्वारा आरोपी धर्म सिंह पटवारी को परिवादी की फाईल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इसने मेरे को कोई फाईल नहीं दी है इसने अपनी जमीन की पेमाईश करने के लिये ऑनलाईन एप्लाई किया था, जिसको मैंने आज शाम को पेमाईश करने के लिये कहा था। पटवारी की टेबल व कमरे की सरसरी तौर पर तलाशी ली गई तो कोई संदिग्ध वस्तु/दस्तावेज नहीं मिले। चूंकि पटवार भवन में विधुत व इंटरनेट की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं होने तथा सुरक्षा की दृष्टि से सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की लिखा पढी यहां पर किया जाना संभव प्रतीत नहीं है इसलिये अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु मन टीएलओ मय समस्त ट्रेप टीम मय आरोपी धर्मसिंह पटवारी, धोवन के आर्टिकल्स इत्यादि को हमराह लेकर समय करीब 02.31 पीएम पर सरकारी वाहनों से पुलिस थाना नीमराणा के लिये रवाना हुये साथ ही कार्यालय पटवार भवन रेवाना के कमरे को बंद कर ताला लगाया गया, जिसकी चाबी हमराह ली गई। मन् टीएलओ मय आरोपी श्री धर्म सिंह, स्वतंत्र गवाहान मय जब्तशुदा आर्टिकल्स को हमराह लेकर समस्त एसीबी टीम के साथ समय करीब 02.55 पीएम पर पुलिस थाना नीमराणा पहुंचकर ड्यूटी ऑफिसर से मौखिक सहमति ली जाकर पुलिस थाना नीमराणा के एक कमरे में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में आरोपी धर्म सिंह के कब्जा से बरामदशुदा मोबाईलो का अवलोकन किया गया तो एक मोबाईल आईफोन 16 प्रो जिसमें मो.नं. है, दूसरा मोबाईल वनप्लस कम्पनी, मॉडल नोर्ड सीई3 लाईट 5जी है, जिसमें मो.नं. है, उक्त दोनों मोबाईल में परिवादी के कार्य से संबंधित कोई संदिग्ध डेटा इत्यादि नहीं पाए गये। अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री धर्म सिंह, पटवारी, पटवार हल्का दौसौद, तहसील नीमराणा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रैवाना, तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो का दुरूपयोग कर वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री दयाराम से ग्राम तलवाना पटवार हल्का रैवाना तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड़ की खाता संख्या 287 खसरा सं. 328 रकबा 0.8200 हैक्टेयर पुश्तैनी जमीन के सीमाकंन करने की एवज में रिश्वती राशि की मांग की गई, जिस पर दिनांक 04.06.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री धर्म सिंह द्वारा जमीन के सीमाकंन करने की एवज में 5000/- रूपये रिश्वती राशि मांग की गई एवं रिश्वत मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.06.2026 को आरोपी श्री धर्म सिंह द्वारा परिवादी श्री दयाराम से 4500/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर गिनकर अपनी पहनी हुई जिंस की पेन्ट के पीछे की दांहिनी तरफ की जैब में पर्स में रखे और उक्त पर्स से रिश्वती राशि बरामद किये गये। आरोपी श्री धर्म सिंह, पटवारी, पटवार हल्का दौसौद, तहसील नीमराणा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रैवाना, तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपी श्री धर्म सिंह, पटवारी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 04.06.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 09.06.2026 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया, जिस

पर आरोपी श्री धर्म सिंह पटवारी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। तदुपरान्त परिवादी श्री दयाराम द्वारा दिनांक 22.05.2026 को अपनी जमीन का सीमांकन करवाने के लिये किये गये ऑनलाईन आवेदन के संबंध में आरोपी धर्म सिंह पटवारी से पुलिस थाना नीमराणा के कम्प्यूटर कक्ष में जाकर ऑनलाईन चैक करवाया तो आरोपी द्वारा अपनी एसएसओ आईडी आरजेबीपी201407014709 को अपने पासवर्ड से लॉग-इन कर ई-धरती आईकन ऑपन करने पर ‘‘तहसील नीमराणा-नाम धर्मसिंह-पद पटवारी-सीमाज्ञान हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त आवेदनों का विवरण’’ शीर्षक के बाद गांव तलवाना-रेवाना-कायसा क्र0सं0 01 टोकन नं0/दिनांक 2026/17643/5, आवेदक का नाम/मोबाईल नम्बर दयाराम मो0नं0 आवेदन पत्र/तहसीलदार का आदेश (विवादित स्थिति में) डाउनलोड करे-(उक्त आवेदन पत्र डाउनलोड करने पर परिवादी द्वारा दिनांक 01.06.2026 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी जयपुर को पेश किये गये प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सीमाज्ञान करवाने हेतु आवेदन पत्र ही है) एवं सीमाज्ञान हेतु दिनांक निर्धारण व पटवारी द्वारा की गई कार्यवाही के कॉलम खाली (पेण्डिंग) है। इस प्रकार की गई ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री धर्म सिंह पटवारी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी धर्म सिंह पुत्र श्री राम अवतार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी खरीवारा पोस्ट गढीरूथल तहसील अठेली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल पटवारी, पटवार हल्का दौसौद, तहसील नीमराणा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रैवाना, तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड को हस्बकायदा जरिये फर्द पृथ्क से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के घटनास्थल पटवार भवन रेवाना का नक्शा मौका घटना स्थल पर पहुंचकर परिवादी की निशादेही पर पृथक से तैयार किया गया। विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन व लेन-देन वार्ताओं हेतु उपयोग में लिए गये मूल मैमोरी कार्ड में सेव वाईस क्लिप्स से तीन नये मैमोरी काड्र्स मार्क A, B, C तैयार किये, तत्पश्चात् रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ताओ के मूल मैमोरी कार्ड मय कार्ड रीडर को विभागीय लेपटोप से जोडकर लाईसेंस्ड एंटी वायरस से स्कैन किया गया तो उसमें किसी भी तरह का वायरस/मालवेयर नहीं पाया गया। तत्पश्चात् उक्त मैमोरी कार्ड में उपलब्ध वॉईस फाईल्स का एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर शामिल फर्द किया गया। तत्पश्चात् मैमोरी कार्ड मार्क A, B, C को पृथक-पृथक विभागीय लेपटोप से जोडकर लाईसेंस्ड एंटी वायरस से स्कैन किया गया तो उक्त मैमोरी कार्ड में किसी भी तरह का वायरस/मालवेयर नही पाया गया। तत्पश्चात् उक्त मैमोरी कार्ड मार्क A, B, C में उपलब्ध वॉईस फाईल्स का पृथक-पृथक एफटीके इमेजर से हैश वैल्यू निकाली जाकर हैश वैल्यू रिपोर्ट का प्रिन्ट लिया जाकर शामिल फर्द किया गया। उपरोक्तानुसार मूल मैमोरी कार्ड व तीनों मैमोरी काड्र्स की निकाली गई हैश वैल्यू का मिलान होना पाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड मार्क A (कन्ट्रोल सैम्पल) सफेद कागज में लपेटकर माचिस की डिब्बी में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर किया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं मैंमोरी कार्ड मार्क B (एडीपी कॉपी) व मार्क C (अनुसंधान प्रयोजनार्थ) को खुली अवस्था में पत्रावली के संलग्न रखा गया। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन हेतु काम में लिया गया मूल मैमोरी कार्ड Kingston canvas Micro SD 32GB पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क MC अंकित कर उक्त मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर मार्क क्रमशः MC अंकित किया गया। नमूना सील का नमूना फर्द पर अंकित किया गया। इस प्रकार सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपी धर्म सिंह पुत्र श्री राम अवतार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी खरीवारा पोस्ट गढीरूथल तहसील अठेली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल पटवारी, पटवार हल्का दौसौद, तहसील नीमराणा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रैवाना, तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर प्रकरण उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (सुरेश कुमार स्वामी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धर्म सिंह पुत्र श्री राम अवतार सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी खरीवारा पोस्ट गढीरूथल तहसील अठेली जिला महेन्द्रगढ हरियाणा हाल पटवारी, पटवार हल्का दौसौद, तहसील नीमराणा अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का रैवाना, तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महावीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, खैरथल-तिजारा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 177 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 956-59 दिनांक 10.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- जिला कलक्टर, कोटपुतली-बहरोड 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर आयुक्तालय 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय,

जयपुर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MAHAVIR SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/06/2026 18:55:32

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)